

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(253)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक : 08-07-14

संबंधित कोषाधिकारी,  
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 128 /2014-15)

विषय :- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के राज्यांश की राशि का जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4( ) परावि/पीसी/RGPSA/बजट/2013-14/929 दिनांक 3.7.2014 में अंकित शर्तों एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रु. 70,28,000/- (अक्षरे राशि रु. सत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र) निम्न वजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे :-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 - जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

राशि रु.

मांग सं. -41	मांग सं. -30	कुल योग
(28)- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	(29)- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 93- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	
राशि रु. : 47,70,000	राशि रु. : 22,58,000	रु. : 70,28,000
अक्षरे राशि रु. सैतालीस लाख सत्तर हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. बाईस लाख अट्ठावन हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. सत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

(एम.एल. आचार्य)  
शासन उप सचिव  
वित्त (बजट)

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित राजस्थान।
5. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव  
वित्त (बजट)